न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
49/2025	03/04/2025	23/06/2025

1. कालू राम लबानिया पुत्र श्री रामधन लबानिया निवासी 41, परवाना विहार अजमेर रोड, गजसिंहपुरा, हाल निवासी ग्राम फूटोलाव तहसील आंधी, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभावक
श्री रामजीलाल मीना :– वकील प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व, रिकार्ड मे नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0 एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी ग्राम फूटोलाव, पटवार हल्का फूटोलाव में भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 0.6500है0 भूमि स्थित है। प्रार्थी का नाम कालू राम लबानिया पुत्र श्री रामधन लबानिया निवासी 41, परवाना विहार अजमेर रोड गजसिघपुरा, हाल निवासी ग्राम फूटोलाव तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान। जिसका जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड मे धर्मपाल पुत्र रामधन अंकित कर दिया गया है जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत अंकन कर दिया गया है। जिसको दुरस्त कर प्रार्थी की वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तोवजों मे कालू राम लबानिया पुत्र श्री रामधन लबानिया हि0 अंकित चला आ रहा है, जो कि सही है, व उक्त खसरा नम्बरो में दर्ज धर्मपाल पुत्र रामधन को दुरस्त किया जावें। प्रार्थी की खातेदारी ग्राम फूटोलाव पटवार हल्का फूटोलाव मे भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 0.6500है0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम धर्मपाल पुत्र रामधन अंकन कर रखा है व गलत है क्योकि प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों मे कालू राम लबानिया पुत्र रामधन लबानिया ही शुरू से चला आ रहा है जो सही है। परन्तु प्रार्थी का नाम उक्त खसरा नम्बरों मे धर्मपाल पुत्र रामधन अंकित होने से सरकारी योजनाओं का एवं किसान केडिट कार्ड व कई योजनाओं से वंचित हो गया है। अतः खसरा नम्बर 147 रकबा 0.6500है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जो गलत अंकन कर दिया गया है, उसको दुरस्त करते हुए प्रार्थी की वोटर आईडी कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड एवं मूल निवास प्रमाण पत्र सहित समस्त दस्तावेजों मे कालू राम लबानिया पुत्र श्री रामधन लबानिया हि0 अंकित चला आ रहा है जो कि सही है व उक्त खसरा नम्बर मे दर्ज धर्मपाल पुत्र रामधन को दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी की जाकर रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक/आरटी/2025/470 दिनांक 28.05.2025 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी/पैरोकार सरकार ने जवाब मे निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 0.65है0 ग्राम फूटोलाव में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता की विरासत से प्रार्थी का नाम धर्मपाल अंकित हुआ। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से गलत नाम दर्ज कर दिया है जबकि नामान्तकरण सं0 243 के अनुसार प्रार्थी का नाम धर्मपाल दर्ज है। प्रार्थी ने अपना नाम संलग्न दस्तावेजात के आधार पर कालूराम पुत्र रामधन बताया है। प्रार्थी ने बताया कि धर्मपाल पुत्र रामधन राजस्व कर्मचारियों से गलती दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा उपलब्ध विरासतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि में विरासत से धर्मपाल पुत्र रामधन नाम आया है।

(42)

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना व पैरोकार सरकार के जबाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर सीलदार आंधी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम फूटोलाव, पटवार हल्का फूटोलाव, तहसील धी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 0.6500है0 में अंकित प्रार्थी का नाम पाल पुत्र रामधन के स्थान पर कालूराम उर्फ धर्मपाल पुत्र रामधन का अंकन किया जाकर राजस्व कार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे नाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़